"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2014—माघ 12, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 10-9/2014/वा.कर (आब.)/पांच (03).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 (यथासंशोधित) में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-09/2014/वा. कर (आब.)/पांच (03), रायपुर दिनांक 27-01-2014 में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :-

उक्त अधिसूचना की कंडिका क्रमांक 2 में टंकण त्रुटि "उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होगा" के स्थान पर "दिनांक 27 जनवरी 2014 से प्रवृत्त होगा" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.